

13/9/2022

पत्रावली पैश हुई / वादी प्रतिवादी अनुं  
वादी प्रतिवादी को विधिवत रूप से तीन-तीन  
बार आवाजे लगाई गई परन्तु कोई उप.  
नही ऐसी स्थिति में प्रकरण अदम हाजरी  
अदम पंरवी में खारिज किया जाना उचित  
प्रतीत होता है। अतः वादी प्रतिवादी के अनु.  
होने से पत्रावली अदम हाजरी अदम पंरवी  
में खारिज की जाती है। पत्रावली फंसल शुमार  
होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी  
हमीरगढ़ (राज.)

